© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X

# मनुस्मृति एवं स्त्री

**डॉ. देवनारायण पाठक**

**पर्यवेक्षक (विभागाध्यक्ष), नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, इलाहाबाद**

**राम प्रकाश**

**शोधच्छात्र, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, इलाहाबाद**

**शोध आलेख सार –** वैदिक समय तथा मनुस्मृति काल में स्त्रियों को जो गौरव प्राप्त थे उनको वापस लाने का प्रयास हमारे समाज को करना होगा। धार्मिक कर्मकाण्ड में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पारम्परिक घरेलू–हिंसा की शिकार महिलाओं को जागरूक करके उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए समाज को प्रयास करना चाहिए। महिलाएँ माँ, बहन, बेटी, पत्नी होती है। परिवार के पुरूषों से उनके सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील होते हैं। बच्चों को अधिकांश संस्कार माँ से प्राप्त होते हैं। यदि समाज को सुख, समृद्धशाली और उन्नत बनाना है तो समाज में महिलाओं को संरक्षण प्राप्त हो क्योंकि शारीरिक रूप से वे पुरूषों की तुलना में कमजोर होती है तथा अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का मुकाबला नहीं कर सकती हैं।

**मुख्य शब्द**– वैदिक, मनुस्मृति, पुरूष, स्त्री, सम्मान, उत्तरदायित्व, संरक्षण।

**भूमिका–**मनुस्मृति का यह चिर–परिचित श्लोक 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' इस बात का संकेत करता है कि प्राचीन काल भारतीय महिलाओं का स्वर्णिम काल था। पुरूष प्रधान व्यवस्था के बावजूद महिलाओं का समाज में सम्मान था, प्रतिष्ठा थी और उन्हें आगे बढ़ने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। अपने आध्यात्मिक ज्ञान और आगाध प्रतिभा से वह समाज को यह बताने में सक्षम हुई कि वे पुरूषों से किसी भी स्तर पर कम नहीं है। परन्तु मध्य काल में स्थिति उतनी सुखद नहीं थी। उनकी प्रगति अवरूद्ध रही। ब्रिटिश काल की सामाजिक, राजनीतिक चेतना का असर हांलाकि महिलाओं पर भी पड़ा लेकिन प्रगति कुछ खास नहीं हुई। इसका कारण यह है कि अंग्रेज सरकार ने इस ओर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ी है इस समय सरकारों, महिला संगठनों, महिला आयोगों के प्रयासों से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले हैं। उनके शिक्षा में सुधार हुआ, जिसके कारण महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है जिससे महिलायें समाज सुधार एवं विज्ञान के क्षेत्र में पुरूषों की बराबरी कर रही है यह सुखद है परन्तु दूसरी ओर महिलाओं पर गरीबी, शोषण और उत्पीड़न की शिकार है। भारत में चालीस फीसदी शादीशुदा

महिलायें को उनके भोजन या काम पसंद नहीं आने के कारण प्रताड़ित किया जाता है जिसका प्रभाव उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। वर्तमान समय में सर्वाधिक अत्याचार विधवा महिलाओं पर हो रहा है। लेकिन मनु स्मृति काल में नारी को सम्मान, उत्तरदायित्व, संरक्षण व सुरक्षा देने के विचार अंकित हैं यदि उनका पालन किया जाये तो नारी पुनः अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेंगी।

**वैदिक काल में स्त्रियों की दशा–**

वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा उन्नत थी उन्हें समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था, महिलाएँ राजनीति में हिस्सा लेती थी उस समय पर्दा–प्रथा का अभाव था स्त्रियों को अपना वर चुनने की छूट थी पति के मृत्यु हो जाने पर पत्नी को सती नहीं होना पड़ता था अर्थात् सती प्रथा का अभाव था। स्त्रियों का विवाह यौवनावस्था में किया जाता था, स्त्रियों को शिक्षा की सुविधायें प्राप्त थी जिसमें वे शास्त्रों, संगीत, नृत्य तथा ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त करती थी। धार्मिक अनुष्ठान स्त्रियों के बिना नहीं सम्पन्न कराये जाते थे। वेदकालीन समाज में स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था।

**मनु स्मृति काल में स्त्रियों की स्थिति–**

**"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।**

**यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रिया।।"**

**मनुस्मृति– अध्याय 3, श्लोक सं0–56**

मनुस्मृति में आया हुआ यह श्लोक स्त्रियों की सम्पूर्ण दिशा एवं दशा को प्रकट करता है मनु के अनुसार जिस समाज में स्त्री पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है और जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ पर सम्पूर्ण क्रियायें या फल असफल हो जाते हैं महर्षि मनु स्त्री को सुखी देखना चाहते थे इसलिए उसका उपाय मनुस्मृति में बताया गया है। मनु मानते हैं कि जहाँ पर स्त्रियों को अभाव, दुर्व्यवहार और कष्ट प्राप्त होते हैं वहाँ पर उनके श्राप से परिवार को कई मुश्किले आती हैं। नारी को सदैव वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत रखना तथा उसे समय–समय पर उपहार देना उचित है क्योंकि इससे स्त्री में प्रसन्नता का भाव प्रकट होगा और उसमें सकारात्मक सोच का संचार होगा। स्त्रियों को महाभागा, पूजनीय और गृहशोभा और गृहलक्ष्मी माना जाता था तथा सन्तान का पालन–पोषण एवं लोक व्यवहार के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व स्त्रियाँ ही निभाती है। घर पर स्त्री को पुत्री, पत्नी और माँ का कर्तव्य का पालन करना होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि माता को पिता की अपेक्षा सहस्त्र गुना सम्मान देना चाहिए लेकिन वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो स्त्रियों का चारों ओर अत्याचार एवं शोषण हो रहा है महिलायें सही से जीवकोपार्जन नहीं कर पा रही यदि वह आगे बढ़ रही है तो उसमें अनैतिक कार्यों का लांछन लगाया जा रहा है तथा महिलाओं से

छेड़छाड़, बलात्कार और कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के अलावा अन्य महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं।

**स्त्रियों के उत्तरदायित्व–**

महर्षि मनु मानते हैं कि पत्नी पति सेवा के साथ–साथ गृहस्थ कार्यों में अपनी भूमिका निभाये जिससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके। मनु का कथन है कि पति अपनी आर्जित की गयी आय पत्नी को दे दे वह उस धन से गृहस्थी के कार्यों में समुचित रूप से व्यय करके सबके भरण पोषण में उचित भूमिका स्थापित करे। यह उस समय की बात है जब स्त्रियाँ अपने गृहस्थ कार्यों में उत्तरदायित्व के अलावा अन्य किसी प्रकार के व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं रहती थी लेकिन वर्तमान समय में स्त्रियाँ प्रत्येक क्षेत्र की ओर कदम बढ़ा रही हैं जिसके कारण उनकी भूमिका में बदलाव आ रहा है। पति–पत्नी दोनों के कामकाजी होने पर दोनों अपनी आय सम्मिलित कर, उस बजट में गृह–स्वामिनी को गृह–प्रबन्ध की भूमिका की न्यायोचित रूप से करना होता है। मनु स्त्री को भगवान की देन मानते हुए उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए कहा है तथा पति–पत्नी समस्त धार्मिक कार्यों को मिलकर सम्पन्न करने पर जोर दिया है। मनु ने कहा है कि स्त्री को पृथक रूप से यज्ञ एवं उपवास करने का नियम नहीं है, पति की सेवा से उनको इसका लाभ अपने–आप प्राप्त हो जायेगा परन्तु आज पुरूषों से ज्यादा स्त्रियों द्वारा व्रत का पालन करते हुए देखा जा रहा है।

**नारी की शिक्षा–** मनुस्मृति में नारी–शिक्षा पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध का उल्लेख नहीं है वह किसी प्रकार की शिक्षा गृहण कर सकती थी। मनुस्मृति में कहा गया है कि शादी से पहले कन्या गुरू के पास शिक्षा ग्रहण करने का विधान किया गया है–

**वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः।**

**पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रियाः।।**

**श्लोक– 2.70**

वेदों में बताए गए विवाह संस्कारों के पूर्व स्त्रियों को गुरू के यहाँ अध्ययन व प्रातः–सायं होम करने का नियम दिया गया है। विवाह पश्चात् पति–सेवा एवं गृहस्थ कार्यों को करने का नियम है कुछ विद्वान व्यक्ति मनुस्मृति पर यह लांछन लगाते हैं कि इसमें स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है यह विचार गलत है क्योंकि इसमें ऐसा कोई विचार नहीं प्राप्त होता जो स्त्री–शिक्षा को प्रतिबन्धित करता हो। चूँकि मनुस्मृति काल में बाल–विवाह का प्रचलन था जिसके कारण प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात् वे शिक्षा नहीं ग्रण कर पाती थी और गृहस्थ जीवन में संलग्न हो जाती थी जिससे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती थी। जैसा कि वैदिक कालीन समय में देखा गया है कि बहुत सी नारियाँ उच्च–शिक्षा प्राप्त कर विदुषी हुई और समाज–सुधार में अमूल्य योगदान दिया है। आधुनिक समय में लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही और प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह इंजीनियरिंग हो या चिकित्सा क्षेत्र, विज्ञान हो या अध्यापन कार्य सब ओर प्रगति को प्राप्त हो रही है।

**विवाह–**

विवाह एक सामाजिक कार्य है जो भारतीय संस्कृति का परिचायक है मनुस्मृति में विवाह के विषय में व्यापक चर्चा की गयी है इसके अनुसार विवाह आठ प्रकार के होते है, ये हैं–

**ब्राह्मों दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः।**

**गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशचश्चाष्टमोऽधमः।।**

**– मनुस्मृति श्लोक 3.21**

स्त्रियों को इन्हीं आठों विवाहों में से एक द्वारा विवाहित किया जाता था। प्रथम चार विवाह पूज्यनीय एवं प्रसंशनीय माने गये हैं जबकि अन्तिम चार को अधम की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्म विवाह में सुयोग्य वर का चयन कर जल–दान कर कन्या उसे समर्पित कर दी जाती थी। इस विवाह के अन्तर्गत किसी प्रकार का लेन–देन पूर्णतः वर्जित था। दैव विवाह में कन्या को वस्त्र एवं आभूषणों के साथ विदा की जाती थी। मनुस्मृति काल में पिता का यह कर्तव्य निश्चित किया गया है कि गुणवान व्यक्ति से ही अपनी कन्या का विवाह करे अयोग्य एवं दुष्ट पुरूष के साथ कदापि न करें। यदि कन्या विवाह की पूरी कर लेती थी तो उसे यह स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वह अपने लिए सुयोग्य वर चुन सकती थी। हमारे देश में प्राचीन काल से ही स्वयंवर की प्रथा रही है अतः यह धारणा कि माता–पिता ही कन्या के लिए वर का चुनाव करे मनुवाद के विपरीत है। महर्षि मनु कहते हैं कि वर के चुनाव में माता–पिता को कन्या की सहायता करनी चाहिए उस पर निर्णय नहीं थोपना चाहिए।

**स्त्री को सम्पत्ति में अधिकार–**

मनुस्मृति में कहा गया है कि पुत्र तथा पुत्री में सम्पत्ति का अधिकार बराबर होना चाहिए। जिस प्रकार पुत्र है उसी प्रकार कन्या, उस कन्या के रहते हुए कोई और सम्पत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। माता की सम्पत्ति पर केवल पुत्री को अधिकार दिया गया है, किन्तु पिता की सम्पत्ति में पुत्र–पुत्री दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है। माता को विवाह के समय दहेज के रूप में दिये गये धन पर अविवाहित पुत्री का अधिकार है। यदि किसी पिता के कोई पुत्र सन्तान नहीं है तो उसमें भी पुत्री का सम्पूर्ण अधिकार दिया गया है। लेकिन वर्तमान समय में बदलती व्यवस्था के कारण पुत्र को अधिक अधिकार प्राप्त हो गये हैं पिता की सम्पत्ति का पुत्र को ही अधिकारी माना जाने लगा है उसमें पुत्री की किसी प्रकार का हिस्सा नहीं रखा गया है। लेकिन सरकार ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधन किया है। स्त्री को दहेज, घरेलू हिंसा, श्रम में भेदभाव के खिलाफ, सम्पत्ति में हिस्सा, विवाह और तलाक से सम्बन्धित कुछ अधिकार प्रदान करके उनका सशक्तीकरण करने का प्रयास किया है। इन सबके बावजूद महिलाओं के खिलाफ समाज में भेदभाव जारी है जिसके लिए 'महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार और भरण पोषण' रूप अधिकार स्त्रियों की आर्थिक रूप में मजबूती प्रदान करता है। इस विषय पर 'विवाहित महिला सम्पत्ति कानून, 1874 और 'हिन्दू उत्तराधिकार कानून' 1956 अस्तित्व में है।

**नारी का संरक्षण एवं सुरक्षा–** मनुस्मृति में कहा गया है कि नारी को विवाह से पहले पिता के, विवाहित हो जाने पर पति के तथा विधवा या वृद्ध हो जाने पर पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए–

**बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने।**

**पुत्राणां भर्तरि प्रते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम्।।**

**मनुस्मृति श्लोक 5.151।।**

संरक्षण से तात्पर्य 'भरण–पोषण' से हैं इस प्रकार के संरक्षण से स्त्री को असहाय बनने से रोकना है क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के अराजक तत्व स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखते रहे होंगे जिसकी सुरक्षा देकर रोका जा सकता था। यह उत्तरदायित्व इसलिए इन्हें दिया गया था क्योंकि स्त्रियाँ समाज में किसी प्रकार से असहाय महसूस न करें, असहाय नारी का समाज में शोषण की अधिक सम्भावना होती है। कुछ लोगों का तर्क है कि मनुस्मृति में संरक्षण के माध्यम से स्त्रियों को बन्धन में रखने का प्रयास किया गया है जिसके कारण वे अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकती थी। इसके लिए वह पुरूषों पर निर्भर रहती थी पूर्णतः निराधार है। मनु ने स्वयं लिखा है ''अरक्षिता गृहे रूद्धाः पुरूषैराप्तकारिभिः'' नारी की सुरक्षा घर में बन्द रखने से नहीं हो सकती है। इस समय भी भारत सरकार विभिन्न प्रकार के कानूनों एवं आयोगों के माध्यम से स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है जिससे उनमें असुरक्षा का भाव न आये। साथ ही साथ महिला सुरक्षा के लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'गाइड–लाइन' जारी किया है।

**नारी शक्तीकरण–** हजारों वर्ष पूर्व में जो विचार मनु ने मनुस्मृति में व्यक्त किये थे, उन्हीं विचारों के अनुरूप आज स्त्री को, नारी शक्तीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है तथा इसको बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान भी चलाये जा रहे हैं। यद्यपि संवैधानिक रूप से स्त्री–पुरूष समान है परन्तु व्यवहारिक रूप में इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है इसलिए सरकार स्त्री–पुरूष के समानता पर विशेष बल दे रही है इस लिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर प्रदान कर रही है। मनु के समय में आज की तरह विभिन्न प्रकार के अपराध होते थे जिससे महिलाओं की प्रताड़ित किया जाता था मनु ने उसके लिए कठोरतम दण्ड का प्रावधान किया था। आज के समय में महिलाओं को शक्तीकरण बनाने के लिए उनके आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, विशेषकर घरेलू हिंसा और वैयक्तिक आक्रमण के मामलों में और अधिक उत्तरदायी बनाया जायेगा और उनको अधिक अधिकार प्रदान करने की कोशिश की जा रही है।

**नारी अपराध के विरूद्ध दण्ड–**

मनुस्मृति काल में नारी के प्रति अपराध वैसे ही थे, जैसे वर्तमान समय में है, उस समय स्त्री को भोग की वस्तु समझकर छेड़छाड़ करना, पीछा करना, प्रहार करना और बलात्कार जैसे अपराध किये जाते थे, जिसके लिए कठोर दण्ड का प्रावधान था। मनुस्मृति में इस ओर इशारा करते हुए लिखा गया है कि–

**योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधर्महति।**

**सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः।।**

**मनुस्मृति श्लोक– 8.363**

अर्थात् अनिच्छुक कन्या को दूषित करने वाले बलात्कारी को मृत्युदंड देना चाहिए, यदि कन्या के सहमति से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तो मृत्युदंड निसिद्ध है। इस प्रकार से अनुचित कार्य करने पर दण्डित करने से समाज में अपराध कम होंगे जिससे स्त्रियाँ अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगी।

**आधुनिक भारतीय समाज में नारी–**

वर्तमान मानवीय समाज में स्त्री को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। समाज में उपस्थित कई प्रकार के वर्ग–भेदों को त्यागकर सभी में समानता के प्रति आग्रह बढ़ा है। इनमें रंग–भेद, जाति–भेद, अमीर–गरीब, ऊँच–नीच के असन्तुलन को समान लाने का प्रयास किया जा रहा है, वर्ग–भेद में सबसे अधिक महिलायें प्रभावित हो रही हैं, महिलायें को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। लेकिन प्राकृतिक रूप से एवं ईश्वर द्वारा समानता को प्राप्त महिलायें, कभी पुरूषों के बराबर दर्जा नहीं प्राप्त कर सकी हैं। प्राचीन समय से ही महिलाओं को पुरूष के बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता रहा है। यद्यपि नारी को पुरूष की अर्धांगिनी माना जाता है फिर भी व्यवहारिक रूप में उसे दासी ही समझा जाता है।

प्राचीन वैदिक समय में नारियों का बराबरी का स्थान प्राप्त था। पुत्र–पुत्री दोनों का 'उपनयन संस्कार' होता था। परन्तु मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं पर सामाजिक अंकुश लगने लगे जिससे उन्हें घर से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं होती थी जिससे वे पुरूषों के हाथ कठपुतली बन कर रह गयी। पंडित नेहरू ने कहा था– 'महिलाओं की स्थिति देश के स्वरूप को सूचित करती है।' ये स्त्रियाँ समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं वे समाज की नए सदस्य को जन्म देकर उसे जीवन्त रखती है। माँ बनकर समाज के नवीन पीढ़ी का पालन–पोषण करती है जिसके कारण इस समय उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में समान स्थान देकर गौरवमयी बनाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है।

**निष्कर्ष–**

मनुस्मृति में वर्णित स्त्रियों की दशा पर ध्यान देकर उनके प्रति सम्मान की भावना विकसित करनी होगी तथा उनके लिए प्रत्येक क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने होंगे। वैदिक समय तथा मनुस्मृति काल में स्त्रियों को जो गौरव प्राप्त थे उनको वापस लाने का प्रयास हमारे समाज को करना होगा। धार्मिक कर्मकाण्ड में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पारम्परिक घरेलू–हिंसा की शिकार महिलाओं को जागरूक करके उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए समाज को प्रयास करना चाहिए। महिलाएँ माँ, बहन, बेटी, पत्नी होती है। परिवार के पुरूषों से उनके सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील होते हैं। बच्चों को अधिकांश संस्कार माँ से प्राप्त होते हैं। यदि समाज को सुख, समृद्धशाली और उन्नत बनाना है तो समाज में महिलाओं को संरक्षण प्राप्त हो क्योंकि शारीरिक रूप से वे पुरूषों की तुलना में कमजोर

होती है तथा अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार से नारी का उत्थान करके समाज में सम्मानित स्थान को प्राप्त करने सहयोग करना चाहिए।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–**


- भारत में सामाजिक समस्यायें (निबन्ध)
- मनुस्मृति – 3.56
- मनुस्मृति – 2.70
- मनुस्मृति – 5.151
- मनुस्मृति – 8.363
- निबन्ध मंजूषा
- प्रतियोगिता दर्पण
- वैदिक संस्कृति